न्यायालय जिला कलक्टर, झुंझुनू

पीठासीन अधिकारी :– लक्ष्मण सिंह कुडी
आई.ए.एस.

प्रथम अपील संख्या 64/2022

श्री राजबीर सिंह (आर0टी0आई0 कार्यकर्ता) ग्रा0पो0 बहादुरवास, जिला झुंझुनूं (राजस्थान), पिन कोड 333704

बनाम

लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार) मण्डावा।

– –

सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत प्रस्तुत प्रथम अपील

आदेश

दिनांक 23.03.2022

1. पत्रावली आज पेश हुई। प्रार्थी (अपीलार्थी) द्वारा यह प्रथम अपील प्रार्थना पत्र सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत दिनांक 15.02.2022 को इस न्यायालय में प्राप्त होने पर प्रथम अपील मिसल नम्बर 64/2022 पर दिनांक 15.02.2022 को दर्ज की गई। अपीलार्थी द्वारा उक्त अपील लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार) मण्डावा के विरूद्व पेश की गई है।
2. अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सूचना प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार) मण्डावा को प्रस्तुत कर आवेदन पत्र में वर्णित सूचना चाही गई।
3. लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार) मण्डावा से इस कार्यालय के पत्रांक पाठक/2021/448–49 दिनांक 15.02.2022 द्वारा तथ्यात्मक टिप्पणी चाही गयी थी।
4. लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार) मण्डावा ने पत्रांक आरटीआई/2022/94 दिनांक 09.03.2022 द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत चाही गई सूचना श्री राजबीर सिंह (आर0टी0आई0 कार्यकर्ता) निवासी बहादुरवास, तहसील मण्डावा, जिला झुंझुनूं को इस कार्यालय के पत्रांक 25–26 दिनांक 31.01.2022 के द्वारा सूचना उपलब्ध करवा दी गई है। अतः अपीलार्थी की अपील खारीज फरमायी जावे।
5. अपीलार्थी सुनवाई हेतु उपस्थित। प्रार्थी ने बहस के दौरान निवेदन किया कि उसके द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर सर्कुलर की प्रति चाही गई थी जो उसे नही मिली है। उसे अन्य कागजात सूचना के रूप मे दिये गये है।
6. लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार) मण्डावा पत्रांक आरटीआई/2022/94 दिनांक 09.03.2022 द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत चाही गई सूचना श्री राजबीर सिंह (आर0टी0आई0 कार्यकर्ता) निवासी बहादुरवास, तहसील मण्डावा, जिला झुंझुनूं को उनके कार्यालय के पत्रांक 25–26 दिनांक 31.01.2022 के द्वारा सूचना उपलब्ध करवा दी गई है। चूंकि प्रार्थी का कथन है कि उसे चाही गई सूचना नही मिली है। उसे अन्य कागजात सूचना के रूप मे दिये गये है। अतः अपीलार्थी का अपील प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार) मण्डावा को आदेश दिये जाते है कि प्रार्थी को उसके द्वारा चाही गई सूचना 7 दिवस मे निःशुल्क उपलब्ध करवाना सुनिश्चित करें।
7. अपीलार्थी को यह भी सूचित किया जाता है कि आप अपनी द्वितीय अपील माननीय राज्य सूचना आयोग जयपुर के यहां निर्धारित समयावधि में कर सकते है।

आदेश आज दिनांक 23.03.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(एल0एस0कुडी)
जिला कलक्टर, झुंझुनूं
जिला कलक्टर झुंझुनूं

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxman Singh Kuri
Date: 2022.04.06 14:53:43 IST
Reason: SelfAttested